न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक– /2013 /निगरानी

निग• 4513-III-13

अनिरूद्ध पुत्र श्री वचन सिंह ना.बा. सरपरस्त पिता वचन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह यादव, निवासी–ग्राम ईदोर तहसील ईसागढ़ जिला अशोक नगर (म0प्र0)

----आवेदक

बनाम

बालमुकुन्द पुत्र श्री कल्लू लोधी, निवासी–ग्राम ईदोर तहसील ईसागढ़ जिला अशोक नगर (म0प्र0)

----प्रतिवादीगण

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 4513–तीन / 13

जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.6.14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण शासकीय पट्टे की भूमि को सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए बिना विक्रय किए जाने के संबंध में है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रकरण में भूमि के विक्रय की कोई अनुमति कलेक्टर द्वारा नहीं दी गई है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो स्थगन आदेश दिया गया है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	